महोबा पुलिस

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 575/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 18.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

  महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 576/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व आत्मनिर्भरता का संदेश

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण):- डर से सुरक्षा तक, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक – हर कदम नारी के सम्मान में महोबा पुलिस !

"बेटियों के हौसले को मिला नया आसमान, मिशन शक्ति से जाग उठी पहचान।"

मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद की समस्त थाना पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों–181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला शक्ति लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) एवं 1076 (पुलिस कंट्रोल रूम) के बारे में अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया, जिसमें POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी शामिल रही।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक मजबूत करना है।

महोबा पुलिस द्वारा समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 577/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.08.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह हे0कां0 शिवप्रताप सिंह, कां0 प्रशान्त कुमार व कां0 नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त गौरीशंकर उर्फ भोले राजपूत पुत्र नाथूराम राजपूत उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम पवां थाना श्रीनगर जनपद महोबा को मु0 देरापुरा बेलाताल (जैतपुर) से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गौरीशंकर उर्फ भोले राजपूत पुत्र नाथूराम राजपूत उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम पवां थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मलखान सिंह
2. हे0कां0 शिवप्रताप सिंह
3. कां0 प्रशान्त कुमार
4. कां0 नीरज कुमार

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 578/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 03 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.08.2026 को थाना पनवाड़ी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 शिवम पाण्डेय मय हमराह कां0 रामकुमार तिवारी व कां0 कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त बाबूलाल पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम बडखेरा थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 03 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

बाबूलाल पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम बडखेरा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 शिवम पाण्डेय

2.कां0 रामकुमार तिवारी

4.कां0 कृष्णकुमार गौतम

दिनांक- 18.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 579/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 35 पीतल की घंटियां बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गौंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण तथा चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 नरोत्तम सिंह मय हमराह रि0का0 सुरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2026 धारा 305(d)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 रविदत्त सिंह, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम अटघार थाना खन्ना जनपद महोबा को खिरूही मोड़-मटौंध मार्ग के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा से उपरोक्त से संबंधित एक बोरी में चोरी की 35 अदद पीतल की घंटियां बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 रविदत्त सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम अटघार थाना खन्ना जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से एक बोरी में 35 अदद पीतल की घंटियां बरामद की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नरोत्तम सिंह

2.रि0कां0 सुरेन्द्र कुमार

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 580/26

महोबा पुलिस

साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा साइबर क्राइम से सम्बन्धित मुकदमे में 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 18.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित नि0 श्री उपेन्द्र नाथ राय मय हमराह हे0कां0 विश्ववीर सिंह व कां0 अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, विवेचनात्मक कार्यवाही एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 003/2026 धारा 318(4)/317(5) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र गयासी राजपूत निवासी ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पवन कुमार पुत्र गयासी राजपूत निवासी ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.नि0 श्री उपेन्द्र नाथ राय

2.हे0कां0 विश्ववीर सिंह

3.कां0 अखिलेश कुमार

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 581/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के दिए गए निर्देश।

आज दिनांक 18.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्र नंदन सिंह द्वारा आगामी ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा मेला परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं जनसुविधाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मेला परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु दुकानों के बीच मार्ग पर्याप्त चौड़े रखने, मेला परिसर में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने तथा पार्किंग एवं रूट डायवर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मेला प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित कर साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

भीड़ नियंत्रण एवं महिला सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी प्रबंध, पर्याप्त पुलिस बल एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि मेला महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से पूर्ण कर ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय एवं प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 582/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र की देखरेख में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 अरूण कुमार मय हमराह कां0 हरीओम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त लोकेश उर्फ लौकेश पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट सीपी नंबर 19572/23 धारा 323/504/506 भादवि के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम रजपुरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में म0उ0नि0 मालती साहू व उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त हरिओम अनुरागी पुत्र हरगोविन्द अनुरागी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मगरिया थाना अजनर जनपद महोबा को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट सीपी नंबर 53/23 धारा 60(1) आब0 अधि0 व सीपी नंबर 358/23 धारा 60 आब0 अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम मगरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1.लोकेश उर्फ लौकेश पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा

2.हरिओम अनुरागी पुत्र हरगोविन्द अनुरागी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मगरिया थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

प्रथम पुलिस टीम- 1.उ0नि0 अरूण कुमार 2.कां0 हरीओम

द्वितीय पुलिस टीम- 1.म0उ0नि0 मालती साहू 2.उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 583/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने एक वर्ष से गुमशुदा युवक को सकुशल किया बरामद, पूछताछ के उपरांत पिता को सुपुर्द किया गया...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

थाना कबरई पर पंजीकृत गुमशुदगी संख्या 49/2025 से सम्बन्धित गुमशुदा आशीष पुत्र अजय कुशवाहा, निवासी ग्राम गहरा, थाना कबरई, जनपद महोबा की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा महोबा नगर क्षेत्र में तलाश की गई, जहां गुमशुदा आशीष सकुशल मिल गया।

पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा आशीष से पूछताछ की गई, जिस पर उसके द्वारा बताया गया कि वह घर पर नाराज होकर बिना किसी को बताए रोजगार की तलाश में सूरत चला गया था। वर्तमान में वह महोबा में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहा है तथा सकुशल एवं सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। गुमशुदा आशीष द्वारा बताया गया कि घटना के समय उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी और वह बालिग था।

पूछताछ के दौरान गुमशुदा के पिता एवं शिकायतकर्ता अजय कुशवाहा भी मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा अपने पुत्र के सकुशल मिलने पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। आवश्यक पूछताछ एवं नियमानुसार कार्यवाही के उपरांत गुमशुदा आशीष को उसके पिता के सुपुर्द किया गया—

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 आकाश मौर्या

2.रि0कां0 रुपलाल

दिनांक- 18.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 584/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना अजनर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित टीम व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह कां0 नरेन्द्र सिंह व कां0 सुरज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र देव सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम व थाना अजनर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 15 अदद क्वार्टर झूम ब्राण्ड देशी शराब नाजायज बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 149/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र देव सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह
2.कां0 नरेन्द्र सिंह
3.कां0 सुरज

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 585/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस एवं जनपदीय SOG/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले गिरोह में संलिप्त 25,000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह एवं जनपदीय SOG/सर्विलांस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थाना कबरई पुलिस एवं जनपदीय SOG/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कबरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2026 धारा 112(2) बीएनएस व 13 जी एक्ट से संबंधित 25,000/- रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त जहांगीर पुत्र अब्बास अली उम्र 39 वर्ष निवासी रामनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को पुलिस लाइन मोड़ के पास थाना कोतवाली नगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जहांगीर पुत्र अब्बास अली उम्र 39 वर्ष निवासी रामनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना कबरई पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह
2.उ0नि0 रोशन गुप्ता
3.कां0 शिवांश सिंह
4.कां0 हेमन्त सरोज

जनपदीय SOG/सर्विलांस टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह
2.उ0नि0 विवेक यादव
2.कं0ऑ0 अभिषेक वर्मा
3.कां0 दीपक वर्मा
4.कां0 रंजीत सिंह
5.कां0 निर्भय सिंह
6.कां0 नीलेश
7.कां0 अभिषेक दुबे